न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 78/18 निर्णय दिनांकः–2.4.25
(जीसीएमएस संख्या 2018/00500)

1. भूराराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी तेलियासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. देवाराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी तेलियासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2018
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

2. अपील संख्याः 79/18
(जीसीएमएस संख्या 2018/00501)

1. भूराराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी तेलियासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. देवाराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी तेलियासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12–10–2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–10–2017 व 20–07–2018 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व विभाजन की डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उक्त दोनों पत्रावलियों में समान पक्षकार एवं समान बहस होने के कारण एक साथ आदेश लिखवाया जा रहा है। आदेश की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम तेलियासर के खेत खसरा नम्बर 1089 तादादी 1.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 1090 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 1092 रकबा 38.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 1106 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.10 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 1389 रकबा 1.00 हेक्टर कुल रकबा 42.05 हेक्टर भूमि अपीलांट एव रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के नाम से संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है, संयुक्त कब्जा काश्त एवं संयुक्त राजस्व रेकॉर्ड खातेदारी चली आ रही है कोई बाहमी विभाजन नही हो रखा है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाब दावा में प्रतिवादी/अपीलंट ने वादी/रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

संख्या 1 के वादपत्र को अस्वीकार किया है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 12—10—2017 में प्रतिवादी द्वारा इकबालिया जवाब पेश करने एवं प्रतिवादी को खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं होने का अंकित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अपीलांट/प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि वादी के वादपत्र से प्रतिवादी सहमत है। जबकि प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा में यह कथन किया गया है कि वादी द्वारा नजरी नक्शे में जो भूमि अपने कब्जे में दर्शायी गयी है मौके पर वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा काश्त दर्शाये गये नक्शे से अलग है। विधिक प्रावधानों के अनुसार जहां पक्षकारों के मध्य मतभेद हो वहां तनकी कायम किया जाना अपरिहार्य है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को गौण करते हुए तनकी कायम नहीं की एवं वादपत्र का निस्तारण बिना तनकी एवं साक्ष्य लिये कर दिया गया जो विधिसम्मत नही होने से खारिज योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन कर कहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन के प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए बाय मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव करने हेतु तहसीलदार को लिखा गया उक्त प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित हुए बिना एवं समस्त पक्षकारों की उपस्थिति के बिना तैयार करवाये है। जबकि इस संबंध में विधि में स्पष्ट प्रावधान निहित है कि विभाजन के मामलों में संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थित में प्रस्ताव तैयार करें तथा किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश की जाती है तो प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उक्त आपित्त का निस्तारण किया जाये। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दि गई एवं जो प्रस्ताव तैयार किये गये थे वो तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये जाकर संबंधित पटवारी द्वारा ही तैयार किये गये है जो कि स्पस्ट रूप से नियम 18 से 21 अवहेलना को दर्शाता है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करते समय व तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए संयुक्त खातेदारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को नजरअंदाज करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा मौके की जॉच किये बिना ही वादी के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में स्पष्ट नियम है कि संबधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किये गये है व तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर काऊण्टर साईन किये गये है। उक्त प्रस्ताव पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित है, जबकि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। **विभाजन के मामलों में सर्वप्रथम यह देखा जाना होता है कि** विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के प्रतिपादित सिद्वान्त अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है अथवा नहीं?

अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध प्रस्ताव के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि से भिन्न है तथा मौके पर सभी सह खातेदार अलग—अलग स्थान पर बैठे है। जिसको स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त प्रस्ताव तैयार किये गये है, ना ही मौके की जॉच की कोई फर्द ही बनाई गई है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन—फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट्स 1 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को किसी कार्यवाही की कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना भी अपीलांट की जानकारी बिना ही पूर्ण करवा दी गई। अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट द्वारा रिकोर्ड चाहने पर प्राप्त हुई एवं जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना चाहिए। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जॉच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 281, आरआरटी 2011—12 सप पेज 209, आरएलडब्ल्यू 2012 पार्ट । पेज 1274, आरआरटी 2015 पेज 1390, आरआरटी 2002 पेज 342, आरआरटी पार्ट । पेज 338, आरबीजे 2000 पेज 319, आरआरटी 2014 पेज 253, आरआरटी 2007 पार्ट । पेज 189, आरआरडी 2017 पेज 473, आरआरटी 2018—19 सप पेज 410, आरआरटी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2011 पेज 157 तथा आरआरटी 2011—12 सप पेज 696 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेट संख्या 1 द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर प्रतिवादी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने एवं प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया था एवं यदि अपीलांट/प्रतिवादी को प्रस्तावों से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी भी तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन की डिक्री पारित की है वो वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार पारित नहीं की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जॉच नहीं की गई है,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालना पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–10–2017 व 20–07–2018 के विरूद्व प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियाद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013 पेज 888, आरआरटी 2013 पेज 757, आरआरटी 2013 पेज 445 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन दिनांक 12–10–2017 व 20–07–2018 के विरूद्व अपील दिनांक 01–10–2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता ने ना तो न्यायालय में हाजिर होने की सूचना दी व ना ही प्रस्ताव मंगवाने की सूचना अपीलांट को दी गई। अपीलांट को रिकोर्ड की आवश्यकता होने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई एवं अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स को विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी किये गये थे व उनके उपस्थित आने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियाद के बिन्दु अर्थात मियाद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत अपील निम्न आधारों पर स्वीकार की जाती है।

1. अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 12–10–2017 द्वारा प्रतिवादी के इकबालिया जवाब के आधार पर यह लिखकर –"वादी प्रतिवादीगण को बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन करवाने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वाद स्वीकार किया जाता है" प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। जबकि जवाब प्रतिवादी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी द्वारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन हेतु सहमति प्रदान नहीं की गई थी। प्रतिवादी द्वारा कब्जा काश्त के आधार पर बंटवारे का अनुतोष चाहा गया था। इस सूरत में जबकि वाद का इकबालिया जवाब नहीं था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकी बनाये एवं साक्ष्य लिये बिना स्वतः ही इकबालिया जवाब लिखकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जो कि अपास्त योग्य है।

2. विभाजन प्रस्ताव बनाते समय तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण नहीं कर पटवारी द्वारा पेषित प्रस्ताव पर प्रतिहस्ताक्षर अंकित किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर भी किसी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित नही है। अतः विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विधि द्वारा प्रतिपादित नियम 18 ता 21 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने से अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री काबिले खारिज है।

3. दिनांक 12–10–2017 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात पत्रावली सीधे दिनांक 20–07–2018 को पेशी में ली जाकर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की आपत्ति/सहमति ली गई हो। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव पर बिना सुनवाई पारित अंतिम डिक्री निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचना एवं न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश व डिक्री दिनांक 12–10–2017 एवं 20–07–2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। साथ ही उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 01–05–2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आगामी कार्यवाही में भाग लेवे।

8. निर्णय आज दिनांक 2-04-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर